



जम्मू और कश्मीर आधिकारिक राजपत्र

खंड-137] जम्मू, मंगलवार, 20 अगस्त 2024 / 29 श्रावण, 1946. [सं. 20-8

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग II-सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 20 अगस्त, 2024
29 श्रावण, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 464/जे एंड के-एलए /2024.- यतः, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र के उप-राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्गत और 20 अगस्त, 2024 (मंगलवार) को संघ राज्य-क्षेत्र के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा उक्त अधिनियम

के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट संघ राज्य-क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा की है कि वे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित कर दें।

2. अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है -

(क) नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख -**27 अगस्त, 2024 (मंगलवार)** ;

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - **28 अगस्त, 2024 (बुधवार)**;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - **30 अगस्त, 2024 (शुक्रवार)**;

(घ) नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जब यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - **18 सितंबर, 2024 (बुधवार)** ; और

(ङ) वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा - **06 अक्टूबर, 2024 (रविवार)**, और

(ब) पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

—

तालिका

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
32- पम्पोर
33- त्राल
34- पुलवामा
35- राजपोरा
36- जैनपोरा
37- शोपियाँ
38- डी.एच.पोरा
39- कुलगाम
40- देवसर
41- डोरू
42- कोकरनाग (अ.ज.जा.)
43- अनन्तनाग पश्चिम
44- अनन्तनाग
45- श्रीगुफवाड़ा-बिजवेहरा
46- शानगुस-अनन्तनाग पूर्व
47- पहलगाम
48- इन्दरवाल
49- किश्तवाड़
50- पाडेर-नागसेनी
51- भदरवाह

52- डोडा
53- डोडा पश्चिम
54- रामबन
55- बनिहाल

आदेश से,

ह/-

(बी .सी. पात्रा),

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग ।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह/-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,
जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।